पीएम आवास की राशि लेकर कार्य पूरा नहीं करने वाले लाभुकों पर नगर प्रशासन हुआ सख्त

राशि वापस नहीं करने वालों पर होगा सर्टिफिकेट केस

राशि की रिकवरी के लिए होगा सर्टिफिकेट केस

विश्रामपुर .विश्रामपुर नगर परिषद में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की राशि लेकर भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों पर नप प्रशासन सख्त हुआ है. नगर परिषद अब वैसे लोगों पर राशि की रिकवरी के लिए सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी कर रहा है. सहायक नगर आयुक्त मो परवेज ने इस संबंध में 12 लाभुकों को अंतिम नोटिस भी भेजा है. मो परवेज ने कहा कि राशि लेकर आवास निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों को अंतिम मौका दिया गया है. अगर जल्द ही लाभुक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करते हैं तो उनसे किश्त की राशि वापस ली जायेगी. राशि वापस नहीं करने वालों पर सर्टिफिक्केट केस किया जायेगा.

नगर प्रशासन ने लंबित आवास लाभुक को किस्त लौटाने का दिया अल्टीमेटम

विश्रामपुर |नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 16-17 में घटक चार के तहत आवंटित शहरी पक्का आवास को राशि प्रदान किए जाने के बावजूद अभी तक अधूरे रखे जाने पर क़िस्त की राशि वापस करने की अंतिम चेतावनी जारी की है।

नप के सहायक नगर आयुक्त परवेज ने ऐसे 12 पीएम शहरी आवास लाभुक को चार साल बीत जाने तथा कई बार इसको लेकर नोटिस देने पर भी आवास निर्माण कार्य अधूरे रखने पर उन्हें निर्गत राशि को नहीं नगर प्रशासन को वापस करने पर सर्टिफिक्केट केस शीघ्र किए जाने का जीजी अल्टीमेटम दिया है। इन पीएम शहरी आवास निर्माण के लाभुकों में वार्ड दो की प्रभा देवी व चंद्रदेव चौधरी, वार्ड छह की दुर्गा देवी,वार्ड आठ की शाहिमा बीबी व शैरून खातून, वार्ड नौ की मीणा देवी,वार्ड तेरह के अकलिम अंसारी, शमसुद्दीन अंसारी, इंद्रदेव राम वार्ड 14 के रामनाथ राम और वार्ड 16 की अनरवा देवी के नाम शामिल हैं।